न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

पंचायत रिवीजन संख्या: 09/2024

दायर दिनांक: 13.05.2024

निर्णय दिनांक 16.01.2026

—: अनवान :—

1. श्री सोहनसिंह पिता नेनूसिंह जी जाति रावत उम्र 44 वर्ष निवासी मन्दिर के पास बाघाना तहसील भीम जिला राजसमंद राजस्थान
2. श्री पूरणसिंह पिता घीसासिंह जी जाति रावत उम्र 46 वर्ष निवासी उबाभाटा बाघाना तहसील भीम जिला राजसमंद राजस्थान

— निगराकार

बनाम

1. श्रीमान् ग्राम पंचायत बाघाना जरिये सरंपच ग्राम पंचायत बाघाना तहसील भीम जिला राजसमंद राजस्थान
2. श्रीमान् ग्राम पंचायत बाघाना जरिये ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत बाघाना तहसील भीम जिला राजसमंद राजसमंद
3. ललित कुमार पिता सत्यनारायण जोशी जाति ब्राहमण उम्र वयस्क निवासी बाघाना तहसील भीम जिला राजसमंद राजस्थान

— गैर निगराकारगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत बाघाना द्वारा जारी पट्टा संख्या 10 बुक संख्या 09 दिनांक 20.10.2010 से अप्रसन्न होकर

उपस्थित :—

1. श्री आर0एल0 रावत, अधिवक्ता प्रार्थी/निगराकार
2. श्री अनिल बागोरा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 व 02
3. श्री भरत उपाध्याय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3

:: निर्णय ::

प्रकरण के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि निगराकार ने निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम निगरानी विरूद्ध आदेश ग्राम पंचायत बाघाना द्वारा जारी पट्टा संख्या 10 बुक संख्या 09 दिनांक 20.10.2010 से व्यथित होकर निगरानी याचिका प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अनिगराकार संख्या 1, 2 द्वारा पट्टा संख्या 10 बुक संख्या 09 दिनांक 20.10.2010 को अनिगराकार संख्या 3 के पक्ष में प्लोट का पट्टा जारी किया गया है, वह विधि के विरूद्ध जारी किया गया है, उक्त पट्टे में जो पडौस बताये है पूर्व में तालाब, पश्चिम हाइवे नम्बर 8 उदयपुर रोड, उत्तर पडत बिलानाम भूमि एंव दक्षिण पडत रास्ता, जिसका पट्टा 699 वर्गगज का जारी किया है। उक्त भूखण्ड अनिगराकार संख्या 1, 2 ने 3 के पक्ष में राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 158 के तहत् तथाकथित आवंटन होना बताया है। राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के प्रावधान मे उक्त पट्टा अधिकतम 150 वर्ग गज का ही दिये जाने का प्रावधान है, जब कि तथाकथित पट्टा 699 वर्ग गज का दिया है जो विधि विरूद्ध है। उक्त पट्टे की शर्तों के मुताबिक मौके पर वर्तमान में कोई निर्माण किया हुआ नही है एवं विवादित भूखण्ड की जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के सीमा क्षेत्र में आती है एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 की सीमा में आने से अनिगराकार संख्या 1, 2 को अनिगराकार संख्या 3 के पक्ष में पट्टा जारी करने का कोई हक, अधिकार नहीं है। पंचायत राज अधिनियम के नियम 158 के तहत् तथाकथित जो पट्टा जारी किया गया है वह पंचायत राज नियम 1996 के नियम 158 के तहत् बने गये प्रावधानो के विपरित जारी करने से पट्टा अपास्त योग्य है। क्यो कि नियम 158 के तहत् भूमियो का कमजोर वर्गों को आवंटन का उल्लेख करती है। उक्त नियम के तहत् पंचायत, गांव आबादी मे 150 वर्गगज तक की आबादी भूमि अनुसूचित जातियो, स्वच्छकारो, अनुसूचित जनजातियो, पिछडा वर्ग के सदस्यो को, गांव के कारीगरो, श्रम, मजदुरी पर आधारित भूमिहीन व्यक्तियो को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में चयनित परिवारो, विकलांगो, यायावर जनजातियो, गाडियो लोहारो के पास स्वयं के गृह स्थल, गृह नहीं है ओर ऐसे बाढ़ ग्रस्तो को भी जिनमे गृह स्थल बाढ के कारण भावी निवास हेतु अयोग्य हो गये है, रियायती दरो पर आंवटित कर सकेगी। लेकिन उक्त प्रकरण मे आवंटी ललित न तो उपरोक्त वर्णित श्रेणीयो मे आता है, न ही भूमिहीन की श्रेणी में आता है, क्यो कि ललित के नाम पर गांव बाघान में पहले से ही 2–3 मकान स्थित है ओर वो मकान भी पक्के होकर 2–3 मंजिला मकान है। ऐसी स्थिति मे जारी किया गया पट्टा पंचायत राज नियम 1996 के नियम 158 के तहत् नही आता है। तथाकथित पट्टा नियम विरूद्ध जारी करने से अपास्त योग्य है। आराजी नम्बर 124 मुलतः पेटा तालाब की जमीन है एवं पेटा तालाब की जमीन को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टान्त अब्दुल रहमान बनाम राज्य के मामले में स्पष्ट रूप से यह प्रतिबन्धित कर रखा है कि कोई भी संस्थान, प्राधिकारी अथवा अधिकारी नदी, नाला, पेटा, जोहड, चारागाह आदि जमीन की किस्म मे परिवर्तन करने का अधिकार नही है, लेकिन उक्त प्रकरण में अनिगराकार संख्या 1, 2 ने मिलकर अनिगराकार संख्या 3 के पक्ष में जो पट्टा भूमि पेटा काश्त से आबादी मे करके जारी किया है जो विधि विरूद्ध है। अनिगराकारसंख्या 1, 2 को तथाकथित पट्टा

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

जारी करने का अधिकार ही प्राप्त नहीं है। वगैराह तथ्यो का उल्लेख करते हुए निगरानी याचिका पेश की।

प्रार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगराकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से 03 को जारी नोटिस बाद तामील के प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री अनील बागोरा द्वारा वकालतनाम प्रस्तुत किया। अप्रार्थी संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री भरत उपाध्याय द्वारा वकालतनाम प्रस्तुत किया तथा ग्राम पंचायत बाघाना से मूल पट्टा पत्रावली तलब की गयी।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा विस्तृत जवाब का हक सुरक्षित रखते हुए अप्रार्थी संख्या 03 ललित कुमार के द्वारा प्रारम्भिक आपत्ति का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिसके अनुसार स्वीकृत रूप से जैर निगरानी पट्टा सं. 10 जो ग्राम पंचायत, बाघाना के प्रस्ताव संख्या 05 के अनुपालना में दिनांक 20.10.2010 को अप्रार्थी के पक्ष में जारी किया, विधि अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव/आदेश की धारा 61 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत धारा 56 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के अधीन गठित पंचायत समिति की स्थाई समिति के समक्ष प्रस्ताव/आदेश की तारीख से तीस दिवस के भीतर-भीतर ऐसे अपील के प्रावधान प्रावधित है। अतः जैर हस्तगत निगरानी याचिका विधिक रूप से पोषणीय नही होने से खारिज होने योग्य है। स्वीकृत रूप से जैर निगरानी पट्टा संख्या 10 दिनांक 20.10.2010 को जारी किया गया है। विधि अनुसार किसी अधिनियम के अन्तर्गत या परिसीमा अधिनियम के पार्ट सैकेण्ड में अन्यत्र कोई परिसीमा काल उपबंधित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में निगरानी प्रस्तुतिकरण की म्याद परिसीमा अधिनियम के आर्टिकल 137 के अधीन तीन वर्ष है। जबकि हस्तगत निगरानी जैर 14 वर्ष देरीना पेश की गई है। अप्रार्थी सं. 03 ने निगराकार/प्रार्थीगण के विरूद्ध अज अदालत श्रीमान् वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदयजी, भीम में दीवानी वाद प्रस्तुत किया तथा वहां निगराकार/प्रार्थी ने अपने जवाब दावा में यह अभिवचन किया कि अप्रार्थी सं. 03 के पट्टे की भूमि निगराकार/प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की सम्पति होकर आराजी संख्या 121 के साबिक आराजी संख्या 1195, 1196, 1197, 1198, व 1199 है। यानि निगराकार/प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 03 की पट्टेशुदा भूमि को अपनी होने का कथन कर दीवानी मूलवाद में अपना जवाब-दावा प्रस्तुत किया तथा जो पट्टा अप्रार्थी सं. 03 को जारी हुआ, उस पर वही एतराज के संबंध में अपना जवाब-दावा पेश किया, जो उक्त निगरानी याचिका में भी अभिवचन प्रस्तुत किये है। अज अदालत श्रीमान् वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय, भीम द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.04.2024 को निगराकार/प्रार्थी का जवाब-दावा के अभिवचनों को सही नही मानते हुए मिथ्या साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने तथा न्यायालय में गलत तथ्य पेश करने पर विचारणीय न्यायालय ने मैरिट पर वाद का निस्तारण करते हुए अप्रार्थी/अनिगराकार सं. 03 के पक्ष में वाद को निर्णय व डिक्री कर दिया। जिस पर निगराकार/प्रार्थी ने निर्णीत वाद के निर्णय दिनांक 09.04.2024 पर आक्षेप लगाते हुए अज अदालत श्रीमान् जिला न्यायाधीश महोदय, राजसमन्द के समक्ष निर्णीत दीवानी मूलवाद की प्रथम दीवानी अपील पेश की। जो दर्ज रजिस्टर होकर पुनः नियमित सुनवाई हेतू अज अदालत श्रीमान् अपर जिला न्यायाधीश महोदय, राजसमन्द

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

के न्यायालय में ट्रांसफर हुई। जहां अपील की सुनवाई प्रारम्भ होते ही अपीलार्थी/निगराकार ने अपील में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतू अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर अपीलीय न्यायालय ने अपील व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मैरिट पर पूर्ण सुनवाई करते हुए अपीलार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज कर दी गई तथा अपीलीय न्यायालय ने अप्रार्थी सं. 03 ललित कुमार जोशी के स्वामित्व व आधिपत्य को विधि अनुरूप सही व पुश्तैनी मानते हुए दिनांक 25.11.2024 को अपीलीय निर्णय व डिक्री पारित कर दिया। अज अदालत श्रीमान् वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय, भीम एवं श्रीमान् अपर जिला न्यायाधीश महोदय, राजसमन्द के हस्तगत दीवानी प्रकरण में यह स्पष्ट निर्णीत हो चुका है कि अनिगराकार/अप्रार्थी सं. 03 का आवासीय भूमि का पट्टा विलेख आराजी सं. 121 की भूमि में नहीं होकर ग्राम पंचायत बाघाना की आबादी के खसरा नं. 2103/124 में है। जो अनिगराकार सं. 01 व 02 ने अनिगराकार सं. 03 के पक्ष में जारी कर रखा है। विचारणीय व अपीलीय न्यायालय में राजस्व विभाग द्वारा जारी भू–अभिलेख साक्ष्य पर न्यायालय ने पूर्व में ही विचार कर रखा है। जो साक्ष्य न्यायालय में परीक्षित होते हुए प्रदर्श मार्क 23 में जमाबंदी व प्रदर्श मार्क 24 में खसरा नक्शा जो कि आबादी भूमि का प्रमाणित साक्ष्य है। जिससे यह साबित होता है कि निगराकार/प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 03 के विरूद्ध पूर्व में ही न्यायालय में यह समस्त तथ्य साबित हो चुके है। निगराकार/प्रार्थी के द्वारा जो निगरानी याचिका अप्रार्थी के विरूद्ध पेश की है जो विधिशास्त्र के "**रेस ज्युडीकेटा**" के सिद्वान्त के अनुसार चलने योग्य नही होने से काबिले खारिज करने योग्य है। निगराकार/प्रार्थी ने उक्त पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत प्रस्तुत की है। जो कि प्रस्तुत निगरानीकार/प्रार्थी पूर्व में डबल कोर्ट से उन्हीं तथ्यों से निर्णीत होने के उपरांत भी अधिनियम की धारा 97 के प्रावधान के अनुसार "हितबद्ध व्यक्ति व पीडित पक्षकार नही है" तथा निगरानी याचिका प्रस्तुत करने का निगराकार का कोई औचित्य भी नही है। इसलिए बिना अधिकार व हित से परे जाकर पुनः निर्णीत तथ्यों पर निर्णय नही किया जा सकता, इसलिए यह निगरानी याचिका को सुनवाई योग्य नही मानते हुए काबिले खारिज करने योग्य है। निगराकार/प्रार्थीगण बहुत ताकतवर और झगडालु किस्म के भू–माफिया व्यक्ति है, तथा वे लोग सीधे–साधे लोगो की निजी भूमि पर और सरकारी भूमि पर जबरन अतिक्रमण एवं कब्जा करने तथा नाजायज रूप से परेशान कर अवैध वसूली करने का कार्य करते है। निगराकार के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक प्रकरण पुलिस थाना, दिवेर में दर्ज होकर सक्षम न्यायालय में निगराकार के विरूद्ध चालान पेश हो रखे है, तथा कई प्रकरण में निगराकार नामजद मुल्जिम है, जिसके विरूद्ध अनुसंधान प्रक्रियाधीन है। तथा कई प्रकरण में न्यायालय में चालान भी पेश हो रखें है। निगराकार/प्रार्थी ने मौजा ग्राम बाधाना के राजस्व भू–अभिलेख के खसरा नं. 121 किस्म गै. मु. तालाब पेटा की सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण करके गलत रूप से सम्पूर्ण तालाब की पाल पर व तालाब पेटा की भूमि पर तारबंदी करके नाजायज कब्जा किया है। जिसके संबंध में ग्रामवासियों ने श्रीमान् तहसीलदार महोदय, भीम को एक लिखित शिकायत प्रस्तुत की जिसको श्रीमान् ने उप–तहसील, दिवेर के नायब तहसीलदार को शिकायत प्रार्थना पत्र को विप्रेषित करके दर्ज रजिस्टर करके विधि अनुरूप जांच करने के लिए पटवार मण्डल बाघाना के हल्का पटवारी को एवं भू–अभिलेख

निरीक्षक, बग्गड़ को निर्देश प्रदान किये, जिस पर पटवार मण्डल बाघाना ने एक टीम गठित की तथा उक्त अतिक्रमण आराजी का मौजा निरीक्षण किया, जिसमें भू-अभिलेख रिकोर्ड के अनुसार निगराकार व अन्य ने उक्त आराजी पर स्थाई तारबंदी युक्त कब्जा पाया गया, जिस पर पटवार मण्डल, बाघाना की गठित टीम ने श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय, दिवेर को जांच रिपोर्ट व मौका फर्द रिपोर्ट पेश कि जिसमें निगराकार व अन्य द्वारा अतिक्रमी पाये जाने से अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उचित कार्यवाही करते हुए अतिक्रमी को बेदखल करने तथा तारबंदी को कुर्क करने का आदेश पारित किया गया है। जिसके पारित हुए आदेश को निगराकार/प्रार्थी ने आदरणीय श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, राजसमन्द के समक्ष श्रीमान् नायब तहसीलदार महोदय, दिवेर के पारित आदेश कि निगराकार व अन्य ने अपील प्रस्तुत की है। जो अपीलीय वर्तमान में आदरणीय न्यायालय में विचाराधीन है। तालाब पेटा की भूमि पर और श्रीमान् जिला कलेक्टर साहब के द्वारा राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ति पाठशाला, बाघाना के नाम से आराजी नं. 2097/124 व 2171/115 आंवटित हो रखी विद्यालय के खेल मैदान के लिए आरक्षित भूमि पर भी निगरानीकार ने अवैध अतिक्रमण कर रखे है, तथा उक्त अवैध अतिक्रमण को यथावत् रखने के आशय से गलत बयानी कर निगरानी याचिका अप्रार्थी सं. 03 के विरूद्ध पेश की है। जो स्पष्ट रूप से न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग है, इस कारण भी निगराकार की निगरानी याचिका चलने योग्य नही होकर खारिज होने योग्य है। अतः इसी क्रम यह है कि निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका पूर्व में ही सिविल न्यायालय में उन्ही तथ्यों व परिस्थितियों के अनुरूप भू-अभिलेख दस्तावेज व विधि को जांच करके उक्त निगरानी याचिका में निगराकार व अनिगराकार के हस्तगत अपील व वाद को निर्णीत किया जा चूका है। अतः निगरानी याचिका धारा 11 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत पूर्व-न्याय के सिद्धान्त पर आधारित है। इसलिए एक ही कारण CAUSE के लिये व्यक्ति को दुबारा प्रताडित VEXED नही करना चाहिए। जिसके अनुरूप याचिका चलने योग्य नही होने से अस्वीकार कर खारिज करने योग्य है। क्योंकि Res-Judicata Principle of Res-Judicata is Founded on Equity Justice & Good Conscience No Man Should Be Vexed Twice Over For The Same Cases.

अधिवक्ता निगराकार द्वारा उक्त प्रारम्भिक आपत्ती का जवाब पेश किया गया। जिसके अनुसार प्रारम्भिक आपत्ती निगरानी की क्लम नंबर 1 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। ग्राम पंचायत बाघाना के द्वारा दिनांक 20.10.2010 को पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों के विपरित जाकर अप्रार्थी संख्या 3 ललित के पक्ष में जो पटटा जारी किया गया है, वह खारिज होने योग्य है। अवैध पटटों को खारिज करने के लिए धारा 97 पंचायत राज अधिनियम के तहत निगरानी पौषणीय है। शेष कथन विधि विरुद्ध होने से अस्वीकार है। प्रारम्भिक आपत्ती निगरानी की क्लम नंबर 2 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। जवाब मै निवेदन है कि पटटा सं0 10 दिनांक 20.10.2010 जो पटटा ग्राम पंचायत बाधाना नै अवैध रूप से जारी किया गया है, एवं अवैध पटटै की निगरानी के जरिये कभी भी खारिज कराया जा सकता है। ऐसे अवैध पटटों के लिए परिसीमन अधिनियम में उल्लेखित प्रावधान लागू नहीं होते। प्रारम्भिक आपत्ती निगरानी की क्लम नंबर 3 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। न्यायालय वरिष्ठ सिविल जज साहब, भीम में प्रकरण होना एवं उसकी अपील जिला

न्यायाधीश महोदय, राजसमंद एवं उसके बाद अपर जिला न्यायाधीश महोदय, राजसमंद के द्वारा निर्णित होना स्वीकार है। शेष तथ्य जानकारी के अभाव से अस्वीकार है। प्रारम्भिक आपत्ती निगरानी की क्लम नंबर 4 का विवरण गलत होकर आंशिक रूप से अस्वीकार है। जिसमे वर्णित सिविल जज साहब, भीम में दावा होना व अपर जिला न्यायाधीश महोदय, राजसमंद के द्वारा निर्णित होना स्वीकार है। शेष तथ्य गलत होकर अस्वीकार है। प्रारम्भिक आपत्ती निगरानी की क्लम नंबर 5 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। जवाब मैं निवेदन है कि अप्रार्थी सं0 3 की जो तथाकथित पटटा जारी किया है, वो भाग्यवन्ती के पति सत्यनारायण को वर्ष 1985 में पटटा जारी होना बताया उस समय विवादित जमीन बीलानाम राजस्थान सरकार के खाते में पंचायत के नाम खाते नहीं थी, न ही यह भूमि आबादी भूमि थी, ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत का सत्यनारायण के नाम पर पटटा जारी करने का अधिकार नहीं था। उस समय उक्त भूमि के आ0न0 124 मी0 बिलानाम थे, अर्थात बिलानाम भूमि पंचायत के खाते में ही थी, ऐसी स्थिति में पंचायत को पटटा जारी करने का अधिकार नहीं था। पंचायत आदेशिका मैं यह उल्लेख किया है कि अप्रार्थी संख्या 03 ललित के पिता को वर्ष 1985 को पटटा जारी किया है, इसलिए दुबारा पटटा ललित व भाग्यवन्ती को दिया है, ऐसी स्थिति में पूर्व में जमीन ही आबादी में नहीं थी, तो पंचायत को पटटा दिये जाने का कोई अधिकार नहीं है। प्रारम्भिक आपत्ती निगरानी की क्लम नंबर 6 का विवरण गलत होकर अस्वीकार है। जवाब मैं निवेदन है कि प्रस्तुत निगरानी धारा 97 राज0 ग्राम पंचायत अधिनियम के तहत पूर्ण रूप से पौषणीय है व निगरानीकर्ता हितबद्ध व्यक्ति होने से निगरानी पैश की है। **विशेष कथन** :– ग्राम पचांयत बाधाना ने उक्त पटटै को अवैध मानते हुए दिनांक 20.10.2010 को एक कौरम के प्रस्ताव संख्या 2 के जरिये ग्राम पंचायत बाघाना के सरपंच व अन्य वार्ड पंचो ने मिलकर यह प्रस्ताव पास किया कि विवादित पटटा सत्यनारायण के जरिये ललित व भाग्यवन्ती को दिया गया है, वह पटटा राज्य मार्ग की सीमा में आता है, पंचायत से गलत तथ्य बताकर पटटा जारी करा दिया है। इसलिए उक्त पटटे की रजिस्ट्री नहीं कराई जावै एवं ललित व भाग्यवन्ती ने पंचायत को गुमराह किया है। अर्थात विवादित पटटा अवैध और पंचायत राज अधिनियमों के विपरित होने से खारिज होने योग्य है। विवादित पटटै के संदर्भ में आ0न0 124 मी0 जिसके नये नंबर 2103/124 का जो रुपान्तरण करके 2 बीघा भूमि आबादी में परिवर्तित की गई थी, उसमे से ग्राम पंचायत बाघाना ने 4 पटटे जारी किये थे, जो क्रमशः मदनलाल पिता किसना जी जोशी, रामसिंह पिता खुमसिंह जी रावत, भाग्यवन्ती पत्नि सत्यनारायण जी जोशी, ललित कुमार पिता सत्य नारायण जी जोशी निवासी बाघाना के पटटा में से मदनलाल एवं रामसिंह के पटटै आप न्यायालय ने अवैध मानते हुए तत्कालिन पीठासीन अधिकारी बालमुकुन्द जी असावा आईएएस जिला कलक्टर महोदय, राजसमंद ने खारिज कर दिये, अर्थात ये चारों पटटे सरवैले से होकर राज मार्ग की सीमा में आते है, इसलिए उक्त पटटो को खारिज कर दिया। विवादित पटटा भी राज्य मार्ग की सीमा में आता है व पंचायत को गुमराह करके गलत पटटा जारी कराया है, जो खारिज होने योग्य है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 3 ललित का कोई मौके पर मकान नहीं है, और ना ही कोई संरचना है। उक्त पटटै पंचायत राज अधिनियम के नियम 157 ए के तहत दिये गये है। अर्थात पुस्तैनी मकान का पटटा होना बताया है। जबकि मदनलाल के नाम जारी पटटै में ललित एवं भाग्यवन्ती का बाडा होना बताया है, अर्थात मौके पर अप्रार्थी संख्या

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

3 का कोई पुश्तैनी मकान नहीं है। बाडे का पटटा पंचायत राज अधिनियम के नियम 157 ए के तहत नहीं दिया जा सकता है। अतः प्रार्थना है कि अनिगराकार संख्या 3 के द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति को इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावै।

उभयपक्ष कि विद्वान अधिवक्ताओ की उक्त प्रारम्भिक आपत्ति के प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 03 ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया कि स्वीकृत रूप से जैर निगरानी पट्टा संख्या 10 दिनांक 20.10.2010 को जारी किया गया है। विधि अनुसार किसी अधिनियम के अन्तर्गत या परिसीमा अधिनियम के पार्ट सैकेण्ड में अन्यत्र कोई परिसीमा काल उपबंधित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में निगरानी प्रस्तुतिकरण की म्याद परिसीमा अधिनियम के आर्टिकल 137 के अधीन तीन वर्ष है। जबकि हस्तगत निगरानी जैर 14 वर्ष देरीना पेश की गई है। अप्रार्थी सं. 03 ने निगराकार/प्रार्थीगण के विरूद्ध अज अदालत श्रीमान् वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदयजी, भीम में दीवानी वाद प्रस्तुत किया तथा वहां निगराकार/प्रार्थी ने अपने जवाब दावा में यह अभिवचन किया कि अप्रार्थी सं. 03 के पट्टे की भूमि निगराकार/ प्रार्थीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की सम्पति होकर आराजी संख्या 121 के साबिक आराजी संख्या 1195, 1196, 1197, 1198, व 1199 है। यानि निगराकार/प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 03 की पट्टेशुदा भूमि को अपनी होने का कथन कर दीवानी मूलवाद में अपना जवाब-दावा प्रस्तुत किया तथा जो पट्टा अप्रार्थी सं. 03 को जारी हुआ, उस पर वही एतराज के संबंध में अपना जवाब-दावा पेश किया, जो उक्त निगरानी याचिका में भी अभिवचन प्रस्तुत किये है। अज अदालत श्रीमान् वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय, भीम द्वारा अपने निर्णय दिनांक 09.04.2024 को निगराकार/प्रार्थी का जवाब-दावा के अभिवचनों को सही नही मानते हुए मिथ्या साक्ष्य व सबूत प्रस्तुत करने तथा न्यायालय में गलत तथ्य पेश करने पर विचारणीय न्यायालय ने मैरिट पर वाद का निस्तारण करते हुए अप्रार्थी/अनिगराकार सं. 03 के पक्ष में वाद को निर्णय व डिक्री कर दिया। जिस पर निगराकार/प्रार्थी ने निर्णीत वाद के निर्णय दिनांक 09.04.2024 पर आक्षेप लगाते हुए अज अदालत श्रीमान् जिला न्यायाधीश महोदय, राजसमन्द के समक्ष निर्णीत दीवानी मूलवाद की प्रथम दीवानी अपील पेश की। जो दर्ज रजिस्टर होकर पुनः नियमित सुनवाई हेतू अज अदालत श्रीमान् अपर जिला न्यायाधीश महोदय, राजसमन्द के न्यायालय में ट्रांसफर हुई। जहां अपील की सुनवाई प्रारम्भ होते ही अपीलार्थी/निगराकार ने अपील में अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतू अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सपठित धारा 151 का प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर अपीलीय न्यायालय ने अपील व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मैरिट पर पूर्ण सुनवाई करते हुए अपीलार्थी/निगराकार द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार कर खारिज कर दी गई तथा अपीलीय न्यायालय ने अप्रार्थी सं. 03 ललित कुमार जोशी के स्वामित्व व आधिपत्य को विधि अनुरूप सही व पुश्तैनी मानते हुए दिनांक 25.11.2024 को अपीलीय निर्णय व डिक्री पारित कर दिया। अज अदालत श्रीमान् वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश महोदय, भीम एवं श्रीमान् अपर जिला न्यायाधीश महोदय, राजसमन्द के हस्तगत दीवानी प्रकरण में यह स्पष्ट निर्णीत हो चुका है कि अनिगराकार/अप्रार्थी सं. 03 का आवासीय भूमि का पट्टा विलेख आराजी सं. 121 की भूमि में नहीं होकर ग्राम पंचायत बाघाना की आबादी के खसरा नं. 2103/124 में है। जो अनिगराकार सं. 01 व 02 ने अनिगराकार सं. 03 के पक्ष में जारी कर रखा है। विचारणीय

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

व अपीलीय न्यायालय में राजस्व विभाग द्वारा जारी भू–अभिलेख साक्ष्य पर न्यायालय ने पूर्व में ही विचार कर रखा है। जो साक्ष्य न्यायालय में परीक्षित होते हुए प्रदर्श मार्क 23 में जमाबंदी व प्रदर्श मार्क 24 में खसरा नक्शा जो कि आबादी भूमि का प्रमाणित साक्ष्य है। जिससे यह साबित होता है कि निगराकार/प्रार्थी ने अप्रार्थी सं. 03 के विरूद्ध पूर्व में ही न्यायालय में यह समस्त तथ्य साबित हो चुके है। निगराकार/प्रार्थी के द्वारा जो निगरानी याचिका अप्रार्थी के विरूद्ध पेश की है जो विधिशास्त्र के **"रेस ज्युडीकेटा"** के सिद्वान्त के अनुसार चलने योग्य नही होने से काबिले खारिज करने योग्य है। निगराकार/प्रार्थी ने उक्त पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 के तहत प्रस्तुत की है। जो कि प्रस्तुत निगरानीकार/प्रार्थी पूर्व में डबल कोर्ट से उन्हीं तथ्यों से निर्णीत होने के उपरांत भी अधिनियम की धारा 97 के प्रावधान के अनुसार "हितबद्ध व्यक्ति व पीडित पक्षकार नही है" तथा निगरानी याचिका प्रस्तुत करने का निगराकार का कोई औचित्य भी नही है। इसलिए बिना अधिकार व हित से परे जाकर पुनः निर्णीत तथ्यों पर निर्णय नही किया जा सकता, इसलिए यह निगरानी याचिका को सुनवाई योग्य नही मानते हुए काबिले खारिज किये जाने योग्य हैं।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया कि अनिगराकार संख्या 1, 2 द्वारा पट्टा संख्या 10 बुक संख्या 09 दिनांक 20.10.2010 को अनिगराकार संख्या 3 के पक्ष में प्लोट का पट्टा जारी किया गया है, वह विधि के विरूद्ध जारी किया गया है, उक्त पट्टे में जो पडौस बताये है पूर्व में तालाब, पश्चिम हाइवे नम्बर 8 उदयपुर रोड, उत्तर पडत बिलानाम भूमि एंव दक्षिण पडत रास्ता, जिसका पट्टा 699 वर्गगज का जारी किया है। उक्त भूखण्ड अनिगराकार संख्या 1, 2 ने 3 के पक्ष में राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 158 के तहत् तथाकथित आवंटन होना बताया है। राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के प्रावधान मे उक्त पट्टा अधिकतम 150 वर्ग गज का ही दिये जाने का प्रावधान है, जब कि तथाकथित पट्टा 699 वर्ग गज का दिया है जो विधि विरूद्ध है। उक्त पट्टे की शर्तों के मुताबिक मौके पर वर्तमान में कोई निर्माण किया हुआ नही है एवं विवादित भूखण्ड की जमीन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के सीमा क्षेत्र में आती है एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 की सीमा में आने से अनिगराकार संख्या 1, 2 को अनिगराकार संख्या 3 के पक्ष में पट्टा जारी करने का कोई हक, अधिकार नहीं है। पंचायत राज अधिनियम के नियम 158 के तहत् तथाकथित जो पट्टा जारी किया गया है वह पंचायत राज नियम 1996 के नियम 158 के तहत् बने गये प्रावधानो के विपरित जारी करने से पट्टा अपास्त योग्य है। क्योकि नियम 158 के तहत् भूमियो का कमजोर वर्गों को आवंटन का उल्लेख करती है। अनिगराकार संख्या 1, 2 का उक्त सारा कृत्य विधि विरूद्ध है। किसी भी पट्टे के अस्तित्व मे रहते हुए पश्चात्वर्ती पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। ग्राम पचांयत बाधाना ने उक्त पटटे को अवैध मानते हुए दिनांक 20.10.2010 को एक कौरम के प्रस्ताव संख्या 2 के जरिये ग्राम पंचायत बाघाना के सरपंच व अन्य वार्ड पंचो ने मिलकर यह प्रस्ताव पास किया कि विवादित पटटा सत्यनारायण के जरिये ललित व भाग्यवन्ती को दिया गया है, वह पटटा राज्य मार्ग की सीमा में आता है, पंचायत से गलत तथ्य बताकर पटटा जारी करा दिया है। इसलिए उक्त पटटे की रजिस्ट्री नहीं कराई जावे एवं ललित व भाग्यवन्ती ने पंचायत को गुमराह किया है। अर्थात विवादित पटटा अवैध और पंचायत राज अधिनियमों

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

के विपरित होने से खारिज होने योग्य है। विवादित पटटे के संदर्भ में आ0न0 124 मी0 जिसके नये नंबर 2103/124 का जो रुपान्तरण करके 2 बीघा भूमि आबादी में परिवर्तित की गई थी, उसमे से ग्राम पंचायत बाघाना ने 4 पटटे जारी किये थे, जो क्रमशः मदनलाल पिता किसना जी जोशी, रामसिंह पिता खुमसिंह जी रावत, भाग्यवन्ती पत्नि सत्यनारायण जी जोशी, ललित कुमार पिता सत्य नारायण जी जोशी निवासी बाघाना के पटटा में से मदनलाल एवं रामसिंह के पटटै आप न्यायालय ने अवैध मानते हुए खारिज कर दिये, अर्थात ये चारों पटटे सरवैले से होकर राज मार्ग की सीमा में आते है, इसलिए उक्त पटटो को खारिज कर दिया। विवादित पटटा भी राज्य मार्ग की सीमा में आता है व पंचायत को गुमराह करके गलत पटटा जारी कराया है, जो खारिज होने योग्य है। मौके पर अप्रार्थी संख्या 3 भाग्यवन्ती का कोई मौके पर मकान नहीं है, और ना ही कोई संरचना है। उक्त पटटै पंचायत राज अधिनियम के नियम 157 ए के तहत दिये गये है। अर्थात पुस्तैनी मकान का पटटा होना बताया है। जबकि मदनलाल के नाम जारी पटटै में ललित एवं भाग्यवन्ती का बाडा होना बताया है, अर्थात मौके पर अप्रार्थी संख्या 3 का कोई पुश्तैनी मकान नहीं है। बाडे का पटटा पंचायत राज अधिनियम के नियम 157 ए के तहत नहीं दिया जा सकता है। अतः प्रार्थना है कि अनिगराकार संख्या 3 के द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति को इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावै।

मैंने अधिवक्ता उभयपक्ष की प्रारम्भिक आपत्ति के प्रार्थना पत्र की बहस पर गहन मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व ग्राम पंचायत की मूल पट्‌टा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। इस प्रकरण में विवादित पट्‌टा जो कि ग्राम पंचायत बाघाना द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 ललित कुमार पिता श्री सत्य नारायण जोशी के पक्ष में दिनांक 20.10.2010 को जारी कर दिया गया। उसके संबंध में निगराकार द्वारा माननीय न्यायालय वरिष्ट सिविल न्यायाधीश भीम में प्रकरण संख्या 45/2021 दायर किया गया था जिसका निर्णय दिनांक 09.04.2024 को कर दिया गया हैं तथा इस निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा इस विवादित पट्‌टे का पंजियन वादी अप्रार्थी संख्या 3 ललित कुमार के पक्ष में कराये जाने के आदेश ग्राम पंचायत को दे दिये गये है तथा माननीय न्यायालय वरिष्ट सिविल न्यायाधीश भीम के निर्णय के विरूद्ध एक अपील निगराकार द्वारा अपीलीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश राजसमन्द में प्रस्तुत की गई थी। जिसका निर्णय भी अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 25.11.2024 को कर दिया जाकर उक्त अपील को खारिज कर दी गई। उक्त विवादित पट्‌टे के संबंध में माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश भीम द्वारा पंजियन कराये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं तो ऐसी स्थिति में उक्त पट्‌टे को निरस्त किया जाना इस न्यायालय के क्षैत्राधिकार में नही माना जा सकता हैं।

सिविल न्यायालय द्वारा पट्‌टे के गूणावगुण पर विवेचन किया जाकर इन्ही पक्षकारान को सुनकर निर्णय पारित किया गया हैं। निगराकार द्वारा सिविल न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय के तथ्यो को छुपाकर यह निगरानी याचिका पेश की हैं। ऐसी स्थिति में इन्ही पक्षकारो के मध्य इसी विषय वस्तु को लेकर सिविल न्यायालय से निर्णय पारित हो चुका हैं। इसलिए निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका विधि से भी बाधित है।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रारम्भिक आपत्ति के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को अस्वीकार कर खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। यदि माननीय उच्च न्यायालय अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा माननीय न्यायालय वरिष्ट सिविल न्यायाधीश भीम के निर्णय को अपास्त किया जाता हैं या परिवर्तित किया जाता है तो निगराकार पुनः निगरानी इस न्यायालय में दायर करने हेतु स्वतंत्र रहेगें।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत गैर निगराकार संख्या 03 द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक आपत्ति के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को खारिज किया जाता हैं। ग्राम पंचायत बाघाना को निर्णय की प्रति तथा उनके कार्यालय की मूल पट्टा पत्रावली भिजवाई जावें।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 16.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद